शीतलहरी से
उत्पन्न आपदा
अत्यावश्यक

पत्रांक 1प्रा0आ0—36 / 2011.....85........ / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना—15, दिनांक— 10/1/13

विषयः **भीषण शीतलहर के मद्‌देनजर शीतलहर से बचाव के उपाय करने के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 4942 दिनांक 12.12.12

महाशय,

कृपया प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाय। उक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य में वर्त्तमान में भीषण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिकांश जिलों का न्यूनतम् तापमान 5^0 सेल्सियस से कम हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा राज्य के गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को शीतलहर से बचाव हेतु किए गए प्रबधों की समीक्षा की गयी है एवं निदेश दिए गए हैं कि अलाव एवं कम्बल वितरण कार्यक्रम सघन रूप से चलाए जाएँ एवं उसका सतत् अनुश्रवण किए जॉय। अतएव शीतलहर से गरीब तथा निःसहायों को बचाने हेतु संदर्भित पत्र में दिए गए निदेशों का पालन करते हुए निम्न व्यवस्थाएँ अविलंब सुनिश्चित की जायः

1. **रैन वसेरों /अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्थाः**— रैन वसेरों (Night Shelters) में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के गरीब निःसहाय व्यक्तियों के रहने की समुचित व्यवस्था की जाय। जहाँ रैन वसेरे उपलब्ध न हो तो वहाँ जिले में उपलब्ध पॉलिथिन शीट्स, टेंट, तारपोलीन शीट्स का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण स्थली बनायी जाय। रैन वसेरों (Night Shelters) एवं अस्थाई शरण स्थलों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखे जांय। शरण स्थली से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

2. **कम्बल वितरणः**— फूटपाथ पर निवास करने वाले गरीब, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच कम्बल का पर्याप्त संख्या में वितरण किया जाय। कम्बल की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जायेगी।